प्रिय अभिभावक,

कॉलेज का नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने जा रहा हैं। कॉलेज में प्रवेश हेतु प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी अगस्त में प्रवेश संबधी प्रक्रिया पूर्ण कर अध्ययन शुरू कर देंगें।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको पता होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी शिक्षण संस्थानों का रैगिंग रोकने हेतु कठोर कदम (जिनमें रैगिंग में सम्मिलित विद्यार्थी/विद्यार्थियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाना भी शामिल है।) उठाने हेतु निर्देशित किया है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना हेतु तथा इस बात को सुनिश्चित करने की रैगिंग सम्बंधी कोई घटना कॉलेज में न हो, कॉलेज ने रैगिंग के विरूद्ध सभी आवश्यक कदम कठोरतापूर्वक उठाने का संकल्प लिया है।

उपरोक्त संदर्भ में मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने पुत्र/पुत्री को रैगिंग में किसी भी तरह से भाग न लेने की सलाह दें। रैगिंग तथा इसको रोकने हेतु लिये जा सकने वाले निर्णयों हेतु आप कॉलेज की वेबसाइट **www.gecj.ac.in** में एन्टी रैगिंग अभियान की पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। अपने पुत्र/पुत्री को उसके खिलाफ लिए जा सकने वाले कदमों की जानकारी भी दें , जिससे वह स्वयं को व अपने मित्रों को रैगिंग में शामिल होने से रोक सके। आपसे अनुरोध है कि पत्र के साथ संलग्न एफीडेविट को आवश्यक रूप से स्वयं व अपने पुत्र/पुत्री से पूर्णतया भरवाकर जमा करवायें।

आपके सहयोग की अपेक्षा में,

प्राचार्य

उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग निषेध से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 2009

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 धारा 26 (1) (जी) के अन्तर्गत)

रैगिंग कैसे होती है–

निम्नालिखित कोई एक अथवा अनेक कार्य रैंगिग के अन्तर्गत आएँगें–

क. किसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा नए आनेवाले छात्र का मौखिक शब्दो व लिखित वाणी द्वारा उत्पीड़न अथवा दुर्व्यव्यवहार करना।

ख. छात्र अथवा छात्रों द्वारा उत्पात करना अथवा अनुशासनहीनता का वातावरण बनाना जिसमें नए छात्र को कष्ट, आक्रोश, कठिनाई, शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा हो।

ग. किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में न करें तथा जिससे नए छात्र में लज्जा, पीड़ा , अथवा भय की भावना उत्पन्न हो।

घ. वरिष्ट छात्र द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो किसी अन्य अथवा नए छात्र के चलते हुए बाघ्य कर शोषण करना।

ड़. नए अथवा किसी अन्य छात्र का दूसरो को दिए गए शैक्षिक कार्य को करने हेतु बाध्य कर शोषण करना।

च. नए छात्र का किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण करना।

छ. शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य/किसी भी प्रकार का यौन शोषण, समलैंगिक प्रहार, नंगा करना, अश्लील तथा काम सम्बन्धी कार्य हेतु विवश करना, अंग चालन द्वारा बुरे भावों की अभिव्यक्ति करना, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट जिसमें किसी व्यक्ति अथवा उसके स्वास्थ्य को हानि पहुँचे।

ज. मौखिक शब्दों द्वारा किसी को गाली देना, ई–मेल, डाक, पब्लिकली किसी को अपमानित करना, किसी को कुमार्ग मार्ग पर ले जाना, स्थानापन्न अथवा कष्टदाय देना या सनसनी पैदा करना जिससे नए छात्र को घबराहट हो।

झ. कोई कार्य जिससें नए छात्र के मन मस्तिष्क अथवा आत्मविश्वास पर दुष्प्रभाव पड़े। नए अथवा किसी छात्र को कुमार्ग पर ले जाना तथा उस पर किसी प्रकार की प्रभुता दिखाना।

उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग निषेध से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 2009

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 धारा 26 (1) (जी) के अन्तर्गत)

संस्थाध्यक्ष द्वारा की जानेवाली कार्रवाई–

1.रैगिंग विरोधी दल अथवा सम्बन्धित किसी के भी द्वारा रैगिंग की सूचना प्राप्त होने पर संस्थाध्यक्ष तुरन्त सुनिश्चित करें कि क्या कोई घटना हुई है और यदि हुई है तो वह स्ययं अथवा उसके द्वारा अधिकृत रैंगिंग विरोधी समिति से सूचना प्राप्ति के 24 घंटे भीतर प्राथमिकी दर्ज कराए अथवा रैगिंग से सम्बन्धित विधि के अनुसार संस्तुति दे। रैगिंग के अन्तर्गत निम्नालिखित अपराध आते है।

2. रैगिंग हेतु उकसाना
3. रैगिंग का आपराधिक षड्यत्र
4. रैगिंग के समय अवैध ढंग से एकत्र होना तथा उत्पात करना
5. रैगिंग के समय जनता को बाधित करना
6. रैंगिंग के द्वारा शालीनता और नैतिकता भंग करना
7. शरीर को चोट पहुँचाना
8. गलत ढंग से रोकना
9. आपराधिक बल प्रयोग
10. प्रहार करना, मौन सम्बन्धी अपराध अथवा अप्राकृतिक अपराध
11. बलात् ग्रहण
12. आपराधिक ढंग से बिना अधिकार दूसरे के स्थान में प्रवेश करना
13. सम्पत्ति से सम्बन्धित अपराध
14. आपराधिक धमकी
15. मुसीबत में फँसे व्यक्तियों के प्रति उपर्युक्त में से कोई अथवा सभी अपराध करना
16. उपर्युक्त में से कोई एक अथवा सभी अपराध पीड़ित के विरूद्ध करने हेतु धमकाना।
17. शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपमानित करना
18. रैगिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी अपराध

रैगिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी अपराध यह भी उल्लेख किया जाता है

1. संस्थाध्यक्ष रैंगिंग की घटना की सूचना तुरन्त जिला स्तरीय रैगिंग विरोधी समिति तथा सम्बद्व विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी को दें।

यह भी उल्लेख किया जाता कि संस्था इन विनियम के खण्ड 9 के अधीन अपनी जांच और उपाय पुलिस तथा स्थानीय अधिकारियों द्वारा की जानेवाली कारवाई की प्रतीक्षा किए बिना प्रारभ्भ कर दे और घटना के एक सप्ताह के भीतर औपचारिक कारवाई पूरी कर ली जाए।

उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग निषेध से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 2009

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 धारा 26 (1) (जी) के अन्तर्गत)

रैंगिंग की घटनाओं पर प्रशासनिक कार्रवाई–

1 किसी छात्र को रैंगिंग का दोषी पाए जाने पर संस्था द्वारा निम्नालिखित विधि अनुसार दण्ड दिया जाएगा।

क रैगिंग विरोधी समिति उचित दण्ड के सम्बन्ध में उचित निर्णय लेगी अथवा रैगिंग की घटना के स्वरूप एवं गम्भीरता को देखते हुए रैंगिंग विरोधी दल दण्ड हेतु अपनी संस्तुति देगा।

ख रैंगिंग विरोधी समिति रैगिंग विरोधी दल द्वारा निर्धारित किए गए अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए निम्नालिखित में कोई एक अथवा अनेक दण्ड देगी।

1 कक्षा में उपस्थित होने तथा शैक्षिक अधिकारियों से निलम्बन

2. छात्रवृत्ति/छात्र अध्येतावृत्ति तथा अन्य लाभों को रोकना/वंचित करना

3. किसी टैस्ट/परीक्षा अथवा अन्य मूल्यांकन प्रक्रियां में उपस्थित होने से वंचित करना।

4. परीक्षाफल रोकना

5. किसी प्रादेशिक, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मीट, खेल, युवा महोत्सव आदि में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से वंचित करना।

6. छात्रावास से निष्कासित करना

7. प्रवेश रद्द करना

8. संस्था में 04 सत्रों तक के लिए निष्कासन करना।

9. संस्था से निष्कासिकत और परिणाम स्वरूप किसी भी संस्था में निश्चित अवधि तक निष्कासन करना। जब रैंगिंग करने अथवा रैंगिंग करने के लिए भड़काने वाले व्यक्तियों की पहचान न हो सके संस्था सामूहिक दण्ड का आश्रय लें।

ग रैंगिंग विरोधी समिति द्वारा दिए गए दण्ड के विरूद्ध अपील (प्रार्थना) निम्नालिखित से की जाएगी।

1 किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्व संस्था होने पर कुलपति से।

2 विश्वविद्यालय का आदेश होने पर कुलाधिपति से

3 संसद के अधिनियम के अनुसार निर्मित राष्ट्रीय महत्व की संस्था होने पर उसके चेयनमेन अथवा चांसलर अथवा स्थिति के अनुसार –

(रूपये 10 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा सत्यापितं)

अभ्यर्थी का शपथ प्रमाणपत्र

1 अभ्यर्थी/छात्र का घोषणा पत्र मैं पुत्र/पुत्री .....श्री/श्रीमती/सुश्री..... .....ने रैंगिंग निषेध के विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केंद्रीय/राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है। मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षण संस्थाओं में रैंगिंग रोकने से सम्बन्धित विनिमय 2009 की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है। तथा उसे ध्यान से पढ़ लिया है।

2 मैंने मुख्यरूप से विनिमय 3 को पढ़ लिया है समझ लिया है। और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैंगिंग के क्या माने है।

3 मैंनें धारा 7 तथा धारा 9.1 विनिमय को समझ लिया है। अगर मैं किसी तरह की रैंगिंग के लिए किसी को उकसाता हूँ या किसी तरह की रैंगिंग में भाग लेता हूँ तो प्रशासन मेरे खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता है।

4 मैं निश्चयत पूर्वक यह प्रयन्त करूँगा/करूँगी कि

क) मैं किसी की रैंगिंग जो कि धारा 3 विनिमय में उल्लेखित है उसमें भाग नहीं लूंगा/लूगीं

ख) मैं किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लूगां/लूगीं जो कि रैंगिंग के धारा 3 विनिमय के अन्तर्गत आता हो।

4 मैं किसी भी प्रकार की रैंगिंग में भाग नहीं लूगां/लूगीं अथवा किसी भी प्रकार से रैगिंग का प्रचार नही करूँगा/करूँगी

5 मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मैं रैगिंग के मामले में अपराधी पाया गया/पायी गयी तो मुझे विनिमय 9. 1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

6 मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरे विरूद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैंगिंग मामले में प्रतिबंध नही लगाया गया है और ऐसा पाया जाता है तो मेंरा प्रवेश निरस्त किया जाता सकता है।

हस्ताक्षर.....दिन.....महीना.....वर्ष.....

अभिसाक्षी का हस्ताक्षर

शपथ प्रमाणपत्र

मेरे द्वारा सत्यापण के पश्चात् पाया गया कि शपथ पत्र में दी गई जानकारी सही है। तथा कोई तथ्य गलत नही है। शपथ पत्र में किसी तरह के तथ्य को न ही छिपाया है न ही गलत बयान दिया है।

सत्यापित .....स्थान.....दिन.....महीना.....वर्ष.....

अभ्यर्थी ने हमारी उपस्थितिमें शपथ पत्र में दिए गए तथ्य को पढ़ने के उपरान्त शर्तो को स्वीकार किया तथा हस्ताक्षर किए।

शपथ आयुक्त

संलग्न –

मता–पिता/अभिभावक का शपथ–पत्र

श्री/श्रीमती/सुश्री.....(पूर्ण–पता) माता/पिता/अभिभावक .....
.....(विद्यार्थी का पूर्ण पता)
प्रवेश/पंजीकरण/पंजीकरण संख्या).....(संस्था का नाम).....
.....

संस्था में प्रवेश लिया गया है। रैंगिंग निषेध से सम्बन्धित निर्देशों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थाओं में रैंगिंग से सम्बन्धित विनिमय–2010 में उल्लेखित प्रावधानों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।

2. मैंने मुख्यरूप से विनिमय 3 को पढ़ लिया है समझ लिया है और मै यह जानता/जानती हूँ कि रैंगिंग के क्या माने है।

3. मैंने धारा 7 तथा धारा 9.1 विनिमय को समझ लिया है। और मुझे पूरी तरह से जानकारी है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर मेंरा पुत्र/पुत्री रैंगिंग के लिए दोषी पाया जाता हैं या किसी तरह की रैंगिंग के लिए उकसाता है या किसी तरह की रैंगिंग मे भाग लेता है तो प्रशासन मेरे पुत्र/पुत्री के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता है।

4. मैं शपथपूर्वक निश्चय करता हूँ कि

क) मेरे पुत्र/पुत्री किसी तरह की रैंगिंग जो कि धारा 3 विनिमय में उल्लेखित है उसमें भाग नहीं लेंगे।

ख) मैं अपने पुत्र/पुत्री को किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लेने दूंगा/दूंगी जो कि रैंगिंग के धारा 3 विनिमय के अन्तर्गत आता हो।

5. मै यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मेरे पुत्र/पुत्री रैंगिंग के मामले में अपराधी पाया गया/पाई गयी तो मेंरे पुत्र/पुत्री को विनिमय 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अन्तर्गत आपराधिक गतिविधियों में मेंरे पुत्र/पुत्री के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

6. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेंरे पुत्र/पुत्री के विरूद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबंध नही लगाया गया हैं और मेरे पुत्र/पुत्री की ऐसे मामले में पाया जाता है तो मेरे पुत्र/पुत्री का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

हस्ताक्षर .....दिन.....महीना.....वर्ष.....

नाम पता,

दूरभाष नंसत्य

पिन

मेरे द्वारा सत्यापन के पश्चात् पाया गया कि शपथ पत्र में दी गई जानकारी सही है तथा कोई तथ्य गलत नही है। शपथ पत्र में किसी तरह के तथ्य को न ही छिपाया है न ही गलत बयान दिया है।

सत्यापित .....स्थान.....दिन.....महीना.....वर्ष.....

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी ने हमारी उपस्थिति में शपथ पत्र में दिन.....महीना.....वर्ष.....दिये गए तथ्य को पढ़ने के उपरान्त शर्तो को स्वीकार किया तथा हस्ताक्षर किए।

शपथ आयुक्त